आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम संख्या 44/13–14

बीबी सहीमन वनाम् बनवारी शर्मा एवं अन्य

आदेश

23.09.13

आवेदिका बीबी सहमीन पति स्व० इल्ताफ हुसैन साकिन अंगारी चक थाना किंजर जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर आवेदिका का कब्जा एवं अधिकार संपुष्ट करने का अनुरोध किया है। साथ ही विपक्षीगण के दावा को खारिज करने एवं प्रश्नगत् भूमि पर किसी किस्म के नाजायज दखल को रोकने का भी अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम अंगारीचक थाना किंजर जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
63	117	10 डी०	उ०–गंगा विशुन महतो, द०–नीज, पू०–भगीरथ महतो प०–झूमक महतो
	118	2 डी०	उ०–नीज,द०–सड़क,पू०–भगीरथ महतो,प०–झूमक महतो।

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित जमीन को आवेदिका ने दिनांक 31.05.1962 को निबंधित केवाला द्वारा खरीद कर दखल काबिज है जिसका राजस्व रसीद भी आवेदिका के नाम कट रहा है।

(2) प्रश्नगत् भूमि पर आवेदिका का आवासीय मकान बना हुआ है जबकि लगभग 4 डी० भूमि सहन मय है जिसमें आवेदिका अपना नाली बहाती है,और धर का कूड़ा करकट जमा करती है और आवेदिका के दखल कब्जा में है।

(3) उतरवादीगण उसी सहन मय भूमि पर अपना दावा करते है जबकि उतरवादीगण की एक इंच भी भूमि नही निकलता है जिसकी पुष्टि उतरवादी नं० 01 बनवारी शर्मा द्वारा सन् 1985 के विधानन्द के नाम निष्पादित केवाला के चौहद्दी को देखने से स्पष्ट होता है। उक्त केवाला के पश्चिम मो० सुलतान,आवेदिका के पुत्र है। इस प्रकार यदि उतरवादी की जमीन जानिब पश्चिम होता तो अवश्य ही चौहद्दी में उतरवादी पश्चिम निज लिखता।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना

है कि सर जमीन पर विपक्षीगण का आवेदिका से कोई विवाद नही है। वर्णित भूमि से विपक्षीगण को कोई लेना देना नही है। यदि प्रथम पक्ष को लगता है कि हमारी भूमि विपक्षीगण मे निकलता है तो वे नापी कराकर अपना संदेह दूर कर सकते है,इस पर विपक्षीगण को कोई एतराज नही है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। प्राधिकार विवादित जमीन का नापी कराने का आदेश देती है। अंचल अधिकारी,करपी को आदेश दिया जाता है कि वे विवादित जमीन का नापी कराकर अगर आवेदिका बेदखल पायी जाती है,तो कब्जा दिलाये। वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

23.07

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

23.07

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।